सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख)(i) के अंतर्गत

स्वः प्रकटीकरण

ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड

मैनुअल संख्या - 17

ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए

(Such Other Information as May Be Prescribed)

17.1 शिकायत निवारण तंत्र (Grievance Redressal Mechanism)

ग्राम्य विकास विभाग में ग्रामीण नागरिकों, कामगारों, स्वयं सहायता समूहों एवं जन-प्रतिनिधियों की शिकायतों व सुझावों के समयबद्ध, पारदर्शी एवं तकनीकी समाधान हेतु त्रि-स्तरीय शिकायत निवारण ढांचा क्रियाशील है:

1. डिजिटल एवं ऑनलाइन माध्यम:

- **मुख्यमंत्री हेल्पलाइन (टोल-फ्री 1905 / उत्कर्ष सीएम डैशबोर्ड):**
 - L-1 स्तर: खण्ड विकास अधिकारी (BDO) - विकास खण्ड स्तर पर प्राथमिक जांच व निस्तारण (अधिकतम समय-सीमा: 07 दिवस)।
 - L-2 स्तर: जिला विकास अधिकारी (DDO) / मुख्य विकास अधिकारी (CDO) - जनपदीय स्तर पर समीक्षा व निस्तारण (अधिकतम समय-सीमा: 07 दिवस)।
 - L-3 स्तर (मुख्यालय): उपायुक्त (प्रशिक्षण-प्रबंधन) एवं कम्प्यूटर प्रोग्रामर द्वारा राज्य स्तर पर विभागीय समीक्षा व अंतिम निस्तारण।
- समाधान पोर्टल (samadhan.uk.gov.in) एवं CPGRAMS (pgportal.gov.in): केंद्र एवं राज्य सरकार से प्राप्त ऑनलाइन संदर्भों का समयबद्ध निस्तारण।

2. स्वतंत्र वैधानिक मंच:

- मनरेगा स्वतंत्र लोकपाल (Ombudsman System): प्रत्येक जनपद में मनरेगा/VB-GRAM G के तहत जॉब कार्ड, अकुशल मजदूरी भुगतान में विलंब, मस्टर रोल तथा कार्य गुणवत्ता संबंधी शिकायतों के निष्पक्ष व त्वरित निस्तारण हेतु स्वतंत्र लोकपाल कार्यरत हैं।
- सामाजिक अंकेक्षण अभिकरण (USAATA): ग्राम पंचायतों में खुली बैठकों के माध्यम से वर्ष में दो बार निष्पक्ष सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा जनता के सम्मुख अभिलेखों की जांच व ऑन-द-स्पॉट शिकायतों का निस्तारण किया जाता है।

3. प्रत्यक्ष जन-सुनवाई:

- मुख्यालय एवं जनपदीय कार्यालयों में प्रत्येक कार्य दिवस को पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक सक्षम अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत जन-सुनवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक सोमवार को 'जनता मिलन' तथा तहसील दिवसों पर प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता पर निस्तारण किया जाता है।

17.2 आरटीआई के तहत प्राप्त आवेदनों एवं प्रदान की गई जानकारी का विवरण

मुख्यालय (कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास, पौड़ी) स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों, निस्तारित प्रकरणों तथा प्रथम अपीलों का विगत वित्तीय वर्षों का विवरण निम्नवत है:

वित्तीय वर्ष	कुल प्राप्त आवेदन (ऑनलाइन + भौतिक)	पूर्णतः निस्तारित आवेदन	निरस्त / धारा 8 व 9 में अस्वीकृत	प्रथम अपीलों की संख्या	प्रथम अपीलों में निस्तारित	अनिस्तारित /लंबित आवेदन
2024–25	127	127	00	11	11	00
2025–26	149	149	00	03	03	00

वित्तीय वर्ष	कुल प्राप्त आवेदन (ऑनलाइन + भौतिक)	पूर्णतः निस्तारित आवेदन	निरस्त / धारा 8 व 9 में अस्वीकृत	प्रथम अपीलों की संख्या	प्रथम अपीलों में निस्तारित	अनिस्तारित /लंबित आवेदन
2026–27 (31 अक्टूबर 2026 तक)	86	86	00	04	04	00

17.3 पूर्ण योजनाओं / परियोजनाओं / कार्यक्रमों की सूची (Completed Projects)

विभागीय कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका (2026–27) एवं वास्तविक प्रगति के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025–26 एवं 2026–27 (अद्यतन) में पूर्ण की गई प्रमुख योजनाओं व भौतिक परिसंपत्तियों का विवरण निम्नवत है:

क्र. सं.	योजना / कार्यक्रम का नाम	पूर्ण किए गए प्रमुख कार्य / भौतिक घटक	भौतिक उपलब्धि (पूर्ण संख्या / परिमाण)	कुल व्यय धनराशि (लाख ₹ में)
1.	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	पक्के भूकंपरोधी आवास, शौचालय एवं विद्युत/जल संयोजन सहित	55,748 आवास	72,472.40
2.	पीएम-जनमन (आदिवासी आवास)	बुक्सा एवं राजी PVTG जनजाति परिवारों हेतु विशेष आवास	1,668 आवास	3,983.00
3.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)	250+ आबादी वाली असंयोजित बसावटों हेतु बारहमासी पक्के मार्ग	2,773 कार्य (21,545 किमी)	11,30,900.00
4.	मिशन अमृत सरोवर (चरण-1)	जल संरक्षण, पारंपरिक जलस्रोतों का पुनरुद्धार एवं संवर्धन	1,322 सरोवर	18,245.00
5.	मेरा गांव मेरी सड़क योजना	सुदूरवर्ती एवं संपर्कविहीन ग्रामीण बसावटों हेतु पक्के संपर्क मार्ग	110 सड़कें (109.20 किमी)	1,852.68
6.	मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना	50% से अधिक पलायन प्रभावित 474 गांवों में कृषि/उद्यान/स्वरोजगार कार्य	564 कार्य	1,054.00
7.	मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास (MBADP)	05 सीमांत जनपदों के 09 ब्लॉकों में आधारभूत अवस्थापना व आजीविका	119 कार्य	1,518.00
8.	राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम	ग्रामीण पशुपालकों की निजी भूमि पर बायोगैस संयंत्र स्थापना	195 संयंत्र	42.90

क्र. सं.	योजना / कार्यक्रम का नाम	पूर्ण किए गए प्रमुख कार्य / भौतिक घटक	भौतिक उपलब्धि (पूर्ण संख्या / परिमाण)	कुल व्यय धनराशि (लाख ₹ में)
9.	सामुदायिक विकास (भवन निर्माण)	विकास भवन कार्यालय एवं विकास खण्ड आवासीय/अनावासीय भवन	27 भवन	1,974.00
10.	DAY-NRLM 'लखपति दीदी' पहल	महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों की वार्षिक आय ₹1.00 लाख से अधिक	2,51,780 महिलाएं	मिशन बजटीय समावेशन

17.4 चल रही (प्रगतिरत) योजनाओं / परियोजनाओं / कार्यक्रमों की सूची (Ongoing Projects)

वित्तीय वर्ष 2026–27 के दौरान राज्य भर में प्रगतिरत प्रमुख विकास परियोजनाओं एवं वित्तीय आवंटन का विवरण निम्नवत है:

क्र. सं.	योजना / कार्यक्रम का नाम	प्रगतिरत कार्यों का विवरण / कार्यक्षेत्र	प्रगतिरत कार्यों की संख्या / परिमाण	वर्तमान वित्तीय आवंटन (लाख ₹)	पूर्णता का अनुमानित लक्ष्य
1.	VB-GRAM G (मनरेगा कार्य)	जल संरक्षण, चेकडैम, बाढ़ नियंत्रण, कृषि सुधार व ग्रामीण अवसंरचना	1,11,126 कार्य प्रगति पर	70,525.00	निरंतर (मांग आधारित)
2.	PMGSY-IV एवं VVP सड़कें	250+ आबादी की 309 बसावटों हेतु नए मार्ग एवं वाइब्रेंट विलेज 04 मार्ग	188 मार्ग (निविदा व निर्माण चरण)	1,04,200.01	मार्च 2027 से 2028
3.	पीएम-जनमन (आदिवासी आवास)	बुक्सा एवं राजी PVTG जनजाति परिवारों के अवशेष आवास निर्माण	472 आवास निर्माणाधीन	1,200.00	दिसंबर 2026 तक
4.	REAP - ग्रामोत्थान (IFAD पोषित)	95 विकास खण्डों में 158 क्लस्टर संघों के माध्यम से आजीविका व सूक्ष्म उद्यम	3,565 सूक्ष्म व 708 सामूहिक उद्यम	20,000.00	वर्ष 2028–29 तक
5.	मिशन अमृत सरोवर (चरण-2)	राज्य के जनपदों में नए अमृत सरोवरों की खुदाई, सुदृढ़ीकरण व सौंदर्यीकरण	10 सरोवर प्रगतिरत (लक्ष्य 66)	मनरेगा / राज्य कन्वर्जेंस	वित्तीय वर्ष 2026–27
6.	मेरा गांव मेरी सड़क योजना	दुर्गम पर्वतीय गांवों हेतु संपर्क मार्गों का निर्माण एवं डामरीकरण	59 सड़कें (प्रगतिरत)	2,000.00	मार्च 2027 तक

क्र. सं.	योजना / कार्यक्रम का नाम	प्रगतिरत कार्यों का विवरण / कार्यक्षेत्र	प्रगतिरत कार्यों की संख्या / परिमाण	वर्तमान वित्तीय आवंटन (लाख ₹)	पूर्णता का अनुमानित लक्ष्य
7.	वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP)	इंडो-चाइना सीमांत 91 गांवों में 118 अनुमोदित आधारभूत कार्य व सड़कें	83 कार्य प्रगति पर (35 पूर्ण)	4,000.00	वित्तीय वर्ष 2026–27
8.	मुख्यमंत्री उद्यमशाला (RBI हब/स्पोक)	13 जनपदों में ग्रामीण युवाओं व SHGs को इन्क्यूबेशन व मेंटरशिप	5,000 इन्क्यूबेटीज प्रशिक्षणरत	2,000.00	निरंतर प्रक्रिया

17.5 ठेकेदार के नाम सहित किए गए अनुबंधों का विवरण (Details of Contracts Awarded)

आयुक्तालय स्तर पर **लागू नहीं।** ग्रामीण स्तर पर निर्माण कार्यों एवं सड़कों के अनुबंध जिला स्तर पर कार्यदायी संस्थाओं यथा ग्रामीण निर्माण विभाग/लोक निर्माण विभाग/URRDA द्वारा संपादित किए जाते हैं।

17.6 वार्षिक रिपोर्ट (Annual Administrative Reports)

1. कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका (Performance Guidebook): विभाग द्वारा प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर समस्त योजनाओं की प्रगति, फोटोग्राफ, जनपदवार विश्लेषण एवं वित्तीय व्यय का समावेश करते हुए विस्तृत वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। वर्तमान में "कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका 2026–27" मुद्रित एवं विभागीय पोर्टल पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।
2. विधान सभा पटल पर प्रस्तुतीकरण: विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट एवं अनुदान संख्या-19 की बजट समीक्षा प्रतिवर्ष उत्तराखण्ड विधान सभा के बजट सत्र में सदन के पटल पर पटलीकृत की जाती है।
3. उपलब्धता: यह रिपोर्ट विभागीय वेबसाइट (http://www.ukrd.uk.gov.in) पर निःशुल्क डाउनलोड हेतु उपलब्ध है तथा आयुक्तालय के संदर्भ कक्ष में सुरक्षित है।

17.7 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Frequently Asked Questions - FAQs)

ग्रामीण नागरिकों एवं आरटीआई आवेदकों द्वारा विभाग से संबंधित सामान्य प्रश्नों के समाधान हेतु अधिकृत प्रश्नोत्तरी निम्नवत है:

- **प्र. 1:** जॉब कार्ड कैसे बनवाया जाता है तथा इसके लिए क्या पात्रता है?
 - उ.: ग्रामीण क्षेत्र का कोई भी वयस्क नागरिक अपने परिवार का जॉब कार्ड बनवाने हेतु संबंधित ग्राम पंचायत सचिवालय में ग्राम प्रधान/ग्राम रोजगार सेवक अथवा विकास खण्ड कार्यालय (BDO) में सादे कागज पर आधार कार्ड व बैंक पासबुक संलग्न कर निःशुल्क आवेदन कर सकता है। आवेदन प्राप्ति के 15 दिन के भीतर जॉब कार्ड अनिवार्य रूप से निर्गत किया जाता है।

- **प्र. 2:** काम की मांग करने पर कितने दिन में काम मिलना अनिवार्य है तथा मजदूरी दर क्या है?
 - उ.: जॉब कार्ड धारक द्वारा काम की मांग दर्ज कराने की रसीद प्राप्ति से 15 दिन के भीतर 5 किमी की परिधि में रोजगार उपलब्ध कराना विधिक गारंटी है। वर्तमान में राज्य में न्यूनतम अकुशल मजदूरी दर ₹252/- प्रतिदिन निर्धारित है।
- **प्र. 3:** यदि 15 दिन में रोजगार नहीं मिलता है तो क्या प्रावधान है?
 - उ.: काम की मांग करने पर यदि 15 दिन में रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो राज्य सरकार द्वारा कामगार को प्रथम 30 दिन हेतु मजदूरी का 1/4 तथा तत्पश्चात 1/2 की दर से बेरोजगारी भत्ता स्वतः दिया जाता है।
- **प्र. 4:** प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत कितनी धनराशि व सुविधाएं मिलती हैं?
 - उ.: आवास प्लस सूची में दर्ज पात्र बेघर परिवारों को मकान निर्माण हेतु अनुदान ₹1,30,000/- (पीएम-जनमन PVTG हेतु अनुदान ₹2,00,000/-) तीन किस्तों में डीबीटी द्वारा दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त शौचालय निर्माण हेतु ₹12,000/-, 95 दिन का मनरेगा अकुशल श्रमांश (₹23,940/-) तथा राज्य सरकार द्वारा बर्तन खरीद हेतु ₹6,000/- की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है।
- **प्र. 5:** इंदिरा अम्मा भोजनालय में थाली का क्या मूल्य है तथा यह किसके द्वारा संचालित होता है?
 - उ.: इंदिरा अम्मा भोजनालय में उपभोक्ता दर मैदानी जनपदों में ₹20/- तथा पर्वतीय जनपदों में ₹25/- प्रति थाली है। इसमें ₹10/- प्रति थाली की सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है तथा इसका संचालन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM nulm) की महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा किया जाता है। एवं शहरी निकायों के क्षेत्रों में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के अन्तर्गत आने वाले स्वयं सहायता समूह भी इंदिरा अम्मा कैंटीन के संचालन हेतु पात्र हो सकते हैं, इन्हें ग्राम्य विकास विभाग द्वारा अनुदान दिया जायेगा।
- **प्र. 6:** विभाग से संबंधित आरटीआई आवेदन अथवा प्रथम अपील कहाँ प्रस्तुत की जा सकती है?
 - उ.: मुख्यालय स्तर पर राज्य लोक सूचना अधिकारी (उपायुक्त - प्रशासन) तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी (अपर सचिव/आयुक्त, पौड़ी) को ₹10 शुल्क सहित आवेदन दिया जा सकता है। ऑनलाइन माध्यम से rtionline.uk.gov.in पर भी आवेदन व अपील दर्ज कराई जा सकती है।

17.8 नागरिक अधिकार पत्र (Citizen Charter)

विभाग का नागरिक अधिकार पत्र (Citizen Charter) जन-सेवाओं के त्वरित, पारदर्शी एवं जवाबदेह वितरण हेतु अधिकृत रूप से अधिसूचित है। मुख्य सेवाओं के डिलीवरी मानक निम्नवत हैं:

अधिसूचित सेवा का नाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी
महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत जॉब कार्ड उपलब्ध कराना	आवेदन से 15 दिन	जिला विकास अधिकारी (DDO)	मुख्य विकास अधिकारी (CDO)
श्रम रोजगार उपलब्ध कराना	मांग दर्ज होने से 15 दिन	जिला विकास अधिकारी (DDO)	मुख्य विकास अधिकारी (CDO)

अधिसूचित सेवा का नाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी
PMAY-G / PM-जनमन आवास पंजीकरण व जियो-टैगिंग	पात्रता सूची से 01 माह	परियोजना निदेशक (PD, DRDA)	मुख्य विकास अधिकारी (CDO)
SHG परिक्रामी निधि (RF) अवमुक्ति	समूह गठन व 12 बैठकों से 03 माह 15 दिन	मुख्य विकास अधिकारी (CDO)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, USRLM
SHG सामुदायिक निवेश कोष (CIF)	समूह गठन व MCP से 07 माह	मुख्य विकास अधिकारी (CDO)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, USRLM
विधायक विकास निधि प्रशासनिक स्वीकृति	मा० विधायक से प्रस्ताव प्राप्ति से 15 से 45 दिन	मुख्य विकास अधिकारी (CDO)	जिलाधिकारी (DM) / आयुक्त
बायोगैस संयंत्र अनुदान अवमुक्ति	संयंत्र निर्माण व सत्यापन से 15 दिन	जिला विकास अधिकारी (DDO)	मुख्य विकास अधिकारी (CDO)

17.9 परिणाम फ्रेमवर्क दस्तावेज (RFD / Outcome Budget 2026–27)

विभाग के नीति आयोग लक्ष्यों, सतत विकास लक्ष्यों (SDG-2030) तथा वित्तीय वर्ष 2026–27 के परिणामी बजट (Outcome Budget) में विहित मुख्य प्रदर्शन संकेतांक (Key Performance Indicators - KPIs) निम्नवत हैं:

- विभागीय विजन: "ग्रामीण उत्तराखण्ड का समग्र, सतत एवं समावेशी विकास।"
- वर्ष 2026–27 प्रस्तावित बजट परिव्यय: कुल ₹3,938.62 करोड़ (राजस्व: ₹2,366.62 करोड़ | पूंजीगत: ₹1,572.00 करोड़)।
- प्रमुख KPI लक्ष्य एवं प्रोजेक्टेड आउटकम (2026–27):
 1. *श्रम रोजगार सृजन:* 150.00 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन तथा 6.00 लाख परिवारों को आजीविका सुरक्षा।
 2. *लखपति दीदी सशक्तीकरण:* 1.12 लाख अतिरिक्त ग्रामीण महिलाओं को 'लखपति दीदी' (वार्षिक आय ₹1.00 लाख+) बनाना।
 3. *ग्रामीण संपर्क मार्ग निर्माण:* PMGSY एवं राज्य योजनाओं द्वारा 800 किमी सड़कों का निर्माण व 03 नई बसावटों का संयोजन।
 4. *कौशल विकास रोजगार:* DDU-GKY के अंतर्गत 2,783 ग्रामीण युवाओं को आवासीय प्रशिक्षण देकर संगठित क्षेत्र में रोजगार।
 5. *ग्रामीण उद्यम स्थापना:* REAP एवं मुख्यमंत्री उद्यमशाला (RBI) द्वारा 5,000 से अधिक नवीन सूक्ष्म ग्रामीण उद्यमों की स्थापना।

17.10 छह-मासिक रिपोर्ट एवं नागरिक चार्टर मानकों के विरुद्ध प्रदर्शन

सिटिजन चार्टर में विहित मानकों के सापेक्ष विभाग का छह-मासिक भौतिक व प्रशासनिक प्रदर्शन मानक-सम्मत रहा है:

- जॉब कार्ड निर्गमन दर: 99.4% जॉब कार्ड विहित 15 दिवस की समय-सीमा के भीतर जारी किए गए।
- मजदूरी डीबीटी एफटीओ सृजन: 98.2% कार्य दिवसों की मजदूरी समयबद्ध रूप से पीएफएमएस के माध्यम से अंतरित की गई।
- आवास निर्माण एवं किस्त भुगतान: 100% किस्तों का भुगतान AwaasApp जियो-टैगिंग प्रमाणीकरण के उपरांत निर्धारित समय-सारणी में किया गया।
- सिटिजन चार्टर सेवा डिलीवरी समीक्षा: प्रत्येक छह माह में उपायुक्त (कार्यक्रम) / राज्य नोडल अधिकारी (सेवा का अधिकार) द्वारा जनपदों के प्रदर्शन की समीक्षा कर रिपोर्ट आयुक्त महोदय को प्रस्तुत की जाती है।

17.11 विधान सभा में पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर

उत्तराखण्ड विधान सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान ग्राम्य विकास विभाग से संबंधित पूछे गए समस्त प्रश्नों की पत्रावलियां एवं प्रामाणिक उत्तर विधिवत संधारित हैं:

- पर्यवेक्षण एवं नोडल दायित्व: नवीनतम जॉब चार्ट (30 अप्रैल, 2026) के प्रस्तर-4 के अनुसार लोक सभा, राज्य सभा एवं विधान सभा के प्रश्नों के उत्तर तैयार कराने तथा शासन को प्रेषित करने का संपूर्ण दायित्व उपायुक्त (प्रशिक्षण-प्रबंधन) एवं संबंधित पटल सहायक (श्री सुनील गुसाईं, प्रधान सहायक) के पास है।
- विधान सभा प्रश्नों की सांख्यिकी (विगत 3 सत्र):
 - बजट सत्र 2025: कुल 42 प्रश्न (तारांकित: 12, अतारांकित: 30) - 100% उत्तर समय से प्रेषित।
 - मानसून सत्र 2025: कुल 29 प्रश्न (तारांकित: 08, अतारांकित: 21) - 100% उत्तर समय से प्रेषित।
 - बजट सत्र 2026: कुल 38 प्रश्न (तारांकित: 11, अतारांकित: 27) - 100% उत्तर समय से प्रेषित।
- समस्त उत्तर उत्तराखण्ड विधान सभा सचिवालय एवं विभाग के अभिलेख कक्ष में सुरक्षित हैं।

17.12 धारा 4 के तहत अभिलेखों के स्वःप्रकटन हेतु नामित नोडल अधिकारी

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अंतर्गत विभाग के समस्त 17 मैनुअल्स के निर्माण, वार्षिक अद्यतनीकरण, वेबसाइट पर अपलोडिंग एवं राज्य सूचना आयोग के मानकों के अनुरूप अनुपालन हेतु नामित राज्य नोडल अधिकारी का पूर्ण विवरण निम्नवत है:

- नोडल अधिकारी का नाम: श्रीमती हेमन्ती गुन्जियाल
- पदनाम: उपायुक्त (प्रशासन) / राज्य लोक सूचना अधिकारी
- कार्यालय का नाम व पूर्ण पता: कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, पौड़ी - 246001
- मोबाइल नंबर: 9410112900
- आधिकारिक ई-मेल आईडी: dcprogramme303@gmail.com

17.13 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (C&AG) / महालेखाकार के ऑडिट पैरा

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 के प्राविधानों के अधीन रहते हुए विभाग में महालेखाकार (A.G. Uttarakhand) एवं सी.ए.जी. (C&AG) की ऑडिट स्थिति निम्नवत है:

- ऑडिट अनुश्रवण व्यवस्था: आयुक्तालय स्तर पर उपायुक्त (परियोजना) तथा सहायक लेखाधिकारी द्वारा नियमित रूप से ऑडिट आपत्तियों का परीक्षण कर अनुपालन आख्या शासन एवं महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित की जाती है।
- वार्षिक ऑडिट स्थिति (विगत 5 वर्ष):
- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) द्वारा जनपदों का आडिट (परीक्षण) कार्य सम्पादन किया जाता है एवं ऑडिट आपत्तियों का प्रतिउत्तर जनपद कार्यालयों द्वारा सीधे महालेखाकार (लेखा परीक्षा) कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए निस्तारित किए जाते हैं।
- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) द्वारा ग्राम्य विकास विभाग अन्तर्गत आयुक्तालय द्वारा संचालित केन्द्र पोषित/राज्य पोषित योजनाओं का ऑडिट (परीक्षण) कार्य समय–समय पर सम्पादन किया जाता है एवं ऑडिट आपत्तियो/ऑडिट मैमों का प्रतिउत्तर ससमय महालेखाकार लेखापरीक्षा कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए निस्तारित किए जाते हैं एवं वर्तमान में आयुक्तालय स्तर पर ऑडिट पैरा/आपत्ति लम्बित नहीं है।

17.14 लोक प्राधिकारी द्वारा आयोजित आरटीआई प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण

आर०टी०आई० प्रशिक्षण कार्यक्रम विभाग स्तर पर संचालित नहीं किए जाते हैं अपितु मा० सूचना आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा समय–समय पर कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, जिनमें विभागान्तर्गत अधिकारियों द्वारा समय–समय पर प्रतिभाग किया जाता है।

17.15 चेकलिस्ट बिन्दु 1 से 10 के अंतर्गत अतिरिक्त विशिष्ट प्रकटीकरण

चेकलिस्ट के बिन्दु संख्या 1 से 10 के अनुसार विशिष्ट मदों का प्रमाणित प्रकटीकरण निम्नवत है:

1. खरीद से संबंधित जानकारी (Procurement Details): ₹5.00 लाख से अधिक के समस्त सिविल निर्माण कार्यों व अधिप्राप्ति की निविदाएं राज्य ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल (uktenders.gov.in) के माध्यम से प्रकाशित की जाती हैं तथा कार्यालयीन सामग्री/उपकरण GeM पोर्टल से क्रय किए जाते हैं।
2. सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP): विभाग में पीपीपी मॉडल पर कोई परियोजना संचालित नहीं है (**लागू नहीं / शून्य**)।
3. स्थानांतरण नीति एवं स्थानांतरण आदेश: उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (अधिनियम 01/2018) के प्राविधानों के तहत निर्गत वार्षिक स्थानांतरण आदेश विभागीय वेबसाइट (http://www.ukrd.uk.gov.in) पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित हैं।
4. आरटीआई आवेदन: समस्त भौतिक एवं ऑनलाइन प्राप्त आरटीआई आवेदनों का विवरण प्रस्तर 17.2 में उल्लिखित है।
5. एजी का पैरा: वर्तमान में आयुक्तालय स्तर पर ऑडिट पैरा/आपत्ति लम्बित नहीं है।
6. विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन निधि (Discretionary & Non-Discretionary Funds):
 - ग्राम्य विकास विभाग के पास कोई विवेकाधीन निधि (Discretionary Fund) नहीं है।
 - गैर-विवेकाधीन निधियों (योजना बजट, विधायक निधि, सांसद निधि) का आवंटन निर्धारित शासकीय दिशा-निर्देशों एवं जनप्रतिनिधियों के विधिवत प्रस्तावों के अनुसार ही किया जाता है।

7. नागरिक चार्टर (Citizen Charter): प्रस्तर 17.8 के अनुसार अधिसूचित सेवाओं का चार्टर वेबसाइट पर उपलब्ध है।

8. अनुशासनात्मक कार्यवाहियों की संख्या: वित्तीय वर्ष 2025–26 एवं 2026–27 में विभाग के 04 कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनिक जांच गतिमान है तथा 02 मामलों में नियमानुसार दंड अधिरोपित कर निस्तारण किया गया है।

9. विदेशी दौरे और यात्राओं का विवरण (Foreign Tours): चालू वित्तीय वर्ष एवं विगत 3 वर्षों में विभाग के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा कोई शासकीय विदेशी दौरा नहीं किया गया है (**शून्य / NIL**)।

10. लोक प्राधिकारी का मैनुअल कब तक अद्यावधिक है: यह मैनुअल 31 अक्टूबर, 2026 तक पूर्णतः अद्यतनीकृत (Up-to-date) है।

17.16 सुराज, भ्रष्टाचार निवारण एवं जन-शिकायत नोडल अधिकारी निर्देशिका

चेकलिस्ट के विशिष्ट बिन्दु सं० 20, 21, 22 एवं 23 के अनुपालन में प्राधिकृत अधिकारियों का विवरण निम्नवत है:

- 1. अभिलेखों के स्वःप्रकटन (Section 4) हेतु नामित नोडल अधिकारी (बिन्दु 20):

उपायुक्त (प्रशासन), कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड, पौड़ी - 246001 | ई-मेल: dcprogramme303@gmail.com

- 2. विधान सभा पटल पर वार्षिक रिपोर्ट की स्थिति (बिन्दु 21):

विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट एवं बजट दिग्दर्शिका प्रतिवर्ष उत्तराखण्ड विधान सभा के पटल पर पटलीकृत की जाती है, जिसमें आरटीआई के क्रियान्वयन एवं उपलब्धियों का विवरण सम्मिलित रहता है।

- 3. सुराज एवं भ्रष्टाचार निवारण हेतु नामित नोडल अधिकारी (बिन्दु 22):

आयुक्त, कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड, पौड़ी - 246001 | ई-मेल: dcprogramme303@gmail.com

- 4. नागरिक संचालित योजनाओं से संबंधित जानकारी एवं जन-शिकायत निवारण अधिकारी (बिन्दु 23):

उपायुक्त (कार्यक्रम) एवं राज्य नोडल अधिकारी (सेवा का अधिकार), आयुक्तालय, पौड़ी - 246001 | ई-मेल: dcprogramme303@gmail.com